भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3589

उत्तर देने की तारीख 10 अगस्त, 2026

सोमवार, 19 श्रावण, 1948 (शक)

आंध्र प्रदेश में स्किल इंडिया कार्यक्रम

†3589.श्री प्रभाकर रेड्डी वेमिरेड्डी:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) स्किल इंडिया कार्यक्रम की विशेष रूप से आंध्र प्रदेश में वर्तमान स्थिति क्या है और उक्त कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षित, प्रमाणित व्यक्तियों की कुल संख्या और संचालित प्रशिक्षण केंद्रों की राज्य-वार और आंध्र प्रदेश में जिला-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने विशेष रूप से आंध्र प्रदेश में प्रशिक्षित व्यक्तियों के लाभकारी नियोजन को सुनिश्चित करने के लिए कोई उपाय किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और नियोजित उम्मीदवारों की संख्या कितनी है और वे किन क्षेत्रों में नियोजित किए गए हैं; और

(घ) क्या सरकार के पास इस कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षित उम्मीदवारों के नियोजन-पश्चात की स्थिति और दीर्घकालिक रोजगार परिणामों पर नजर रखने के लिए कोई तंत्र है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) कौशल भारत कार्यक्रम (एसआईपी) में तीन स्कीमें शामिल हैं जो वित्तीय वर्ष 2022-23 से कार्यान्वित की जा रही है (i) प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना 4.0 (पीएमकेवीवाई 4.0), (ii) प्रधान मंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन स्कीम (पीएम-एनएपीएस), और (iii) जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) स्कीम।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) 4.0: पीएमकेवीवाई 4.0 देश भर के युवाओं को अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी) के माध्यम से कौशल विकास प्रशिक्षण देने और पूर्व अधिगम मान्यता (आरपीएल) के माध्यम से कौशलोन्नयन और पुन: कौशलीकरण के लिए

एक स्कीम है। पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत, मुख्य ध्यान प्रशिक्षित उम्मीदवारों को अपना पसंदीदा करियर अवसर चुनने के लिए सशक्त बनाना है और उन्हें ऑन-जॉब ट्रेनिंग (ओजेटी) से जुड़े उद्योग-प्रासंगिक कौशल पाठ्यक्रमों के माध्यम से इसके लिए उपयुक्त रूप से तैयार किया जाता है।

जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) स्कीम श्रमिक विद्यापीठ (एसवीपी) के रूप में 1967 में शुरू की गई इस स्कीम का उद्देश्य भारत सरकार के पूर्ण अनुदान से पंजीकृत समितियों (एनजीओ) के माध्यम से लाभार्थियों के घर पर ही अनौपचारिक रूप से कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है। इस स्कीम का उद्देश्य कौशल विकास प्रशिक्षण के माध्यम से स्वरोजगार/मजदूरी रोजगार को बढ़ावा देकर घरेलू आय में वृद्धि करना है। स्कीम के लक्षित लाभार्थी गैर-साक्षर और प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त व्यक्ति, साथ ही कक्षा 12वीं बीच में की पढ़ाई छोड़ चुके छात्र और 15-45 वर्ष की आयु वर्ग के लोग हैं।

वर्तमान में, आंध्र प्रदेश राज्य में 6 जन शिक्षण संस्थानों सहित देश भर में 294 जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) कार्यरत हैं।

राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) उद्योग-आधारित, ऑन-द-जॉब अधिगम के माध्यम से शिक्षुता प्रशिक्षण को बढ़ावा देने और रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए अगस्त 2016 में इस स्कीम का शुभारंभ किया गया था। वित्त वर्ष 2022-23 से, यह स्कीम शिक्षु अधिनियम, 1961 के उपबंधों के तहत एनएपीएस-2 के रूप में कार्यान्वित की जा रही है। एनएपीएस-2 के तहत, सरकार पात्र शिक्षुओं को आंशिक वजीफा सहायता प्रदान करती है, जो भुगतान किए गए वजीफे के 25% तक सीमित है, और प्रति शिक्षु प्रति माह अधिकतम 1,500 रुपए तक सीमित है। यह सहायता प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) तंत्र के माध्यम से सीधे शिक्षुओं के बैंक खातों में जमा की जाती है।

कौशल भारत कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षित/अभिविन्यस्त/नियोजित शिक्षु तथा प्रमाणित उम्मीदवारों का राज्यवार ब्यौरा ***अनुबंध I*** में दिया गया है।

कौशल भारत कार्यक्रम के अंतर्गत कार्यरत राज्यवार केंद्रों/प्रतिष्ठानों का ब्यौरा ***अनुबंध II*** में दिया गया है।

आंध्र प्रदेश में कौशल भारत कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षित/अभिविन्यस्त/नियोजित शिक्षु और प्रमाणित उम्मीदवारों का जिलावार ब्यौरा, साथ ही परिचालनरत केंद्रों की संख्या, ***अनुबंध III*** में दी गई है।

(ख) से (घ) पीएमकेवीवाई के तहत, स्कीम के पहले तीन संस्करणों, पीएमकेवीवाई 1.0, पीएमकेवीवाई 2.0 और पीएमकेवीवाई 3.0 में अल्पकालिक प्रशिक्षण (एसटीटी) घटक में नियोजन पर नज़र रखी गई, जो वित्त वर्ष 2015-16 से वित्त वर्ष 2021-22 तक लागू किए गए थे। पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत, जो वित्त वर्ष 2022-23 से लागू है, प्रशिक्षित उम्मीदवारों

को उनके विविध करियर अवसर चुनने के लिए सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है और उन्हें ऑन-जॉब ट्रेनिंग (ओजेटी) में शामिल उद्योग से संबंधित कौशल पाठ्यक्रमों के माध्यम से इसके लिए उपयुक्त रूप से तैयार किया जाता है।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 के अंतर्गत प्रशिक्षणार्थियों की रोजगार क्षमता को बढ़ाने के लिए, प्रशिक्षण को राष्ट्रीय कौशल अर्हता ढांचे (एनएसक्यूएफ़) के अनुरूप तैयार किया गया है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि पाठ्यक्रम उद्योग के अनुकूल और राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के पूरक हों। उद्योग-संचालित क्षेत्र कौशल परिषदें (एसएससी), कौशल की कमियों की पहचान करने, पाठ्यक्रम विकसित करने, योग्यता के मानक तय करने और एनएसक्यूएफ़ के मानदंडों के अनुसार प्रशिक्षण, मूल्यांकन तथा प्रमाणन की निगरानी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इस स्कीम के तहत एक बड़ा सुधार ऑन-द-जॉब प्रशिक्षण को जोड़ना है, जो प्रशिक्षणार्थियों को व्यावहारिक औद्योगिक अनुभव और हाथों से काम करके सीखने का अवसर प्रदान करता है। रोजगार को सुगम बनाने के लिए, उद्योग भागीदारों के सहयोग से कौशल महोत्सव आयोजित किए जाते हैं, जिससे प्रशिक्षित उम्मीदवारों और संभावित नियोक्ताओं के बीच सीधा संपर्क स्थापित होता है।

इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने कौशल भारत डिजिटल केंद्र (सिद्ध) की शुरुआत की है, जो एक ऐसा एकीकृत मंच है जो कौशल विकास, शिक्षा, रोजगार और उद्यमिता सेवाओं को एक साथ लाता है। सिद्ध प्रशिक्षित उम्मीदवारों का पूरा ब्यौरा सुरक्षित रखता है, जिससे नियोक्ता कौशल संपन्न जनशक्ति से जुड़ पाते हैं। इसके साथ ही, यह मंच उम्मीदवारों को रोजगार और शिक्षुता के अवसरों तक पहुँच भी प्रदान करता है।

शिक्षु अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार, नियोक्ता शिक्षुओं के प्रशिक्षण की अवधि पूरी होने पर उन्हें रोजगार देने के लिए बाध्य नहीं हैं। हालांकि, यह शिक्षुता प्रशिक्षण शिक्षुओं को कार्यस्थल का व्यावहारिक अनुभव और उद्योग के अनुकूल कौशल प्रदान करके उनकी रोजगार क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि करता है, जिससे उनके लाभकारी रोजगार की संभावनाएं बेहतर होती हैं।

प्रत्येक जेएसएस में एक आजीविका प्रकोष्ठ बनाया गया है, जिसका प्रमुख जेएसएस का कार्यक्रम अधिकारी होता है और अन्य स्टाफ सदस्य उनका सहयोग करते हैं। यह प्रकोष्ठ प्रशिक्षित जेएसएस लाभार्थियों, विशेषकर महिला लाभार्थियों को स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी)/संयुक्त देयता समूहों (जेएलजी) से जोड़ता है ताकि उनकी उद्यमशीलता और आजीविका को बढ़ावा दिया जा सके। आजीविका प्रकोष्ठ उन्हें आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए उपयुक्त राष्ट्रीय/राज्य पोर्टल से भी जोड़ता है, लाभार्थियों को बाजार की मांग के अनुसार संबंधित ट्रेडों में स्वरोजगार/वेतन रोजगार अपनाने में सक्षम बनाने के लिए परामर्श सहायता प्रदान करता है और जेएसएस लाभार्थियों, विशेषकर महिलाओं को वित्तीय सहायता/ऋण योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए नियोक्ताओं, बैंकों/सूक्ष्म वित्त संस्थाओं/राज्य सरकारों के बीच एक सेतु का काम करता है।

अनुबंध I

'आंध्र प्रदेश में स्किल इंडिया कार्यक्रम' के संबंध में दिनांक 10.08.2026 को उत्तरार्थ लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 3589 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

स्किल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत प्रशिक्षित/अभिविन्यस्त/नियोजित प्रशिक्षुओं को और प्रमाणित किए गए कुल उम्मीदवारों का राज्यवार ब्यौरा निम्नलिखित है:

	पीएमकेवीवाई 4.0		नैप्स(एनएपीएस)		जेएसएस	
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**प्रशिक्षित**	**प्रमाणित**	**नियोजित प्रशिक्षु**	**प्रमाणित**	**प्रशिक्षित**	**प्रमाणित**
अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह	5,838	3,671	557	188	8,097	8,090
आंध्र प्रदेश	5,35,681	4,28,660	93094	23245	84,506	84,230
अरुणाचल प्रदेश	98,231	73,626	425	71	726	635
असम	8,48,120	6,05,250	35057	8870	74,425	73,786
बिहार	7,64,075	5,83,189	27924	6327	2,46,242	2,39,575
चंडीगढ़	28,230	22,958	5574	1233	13,006	12,731
छत्तीसगढ	2,05,017	1,45,323	23300	14891	1,58,564	1,56,118
दिल्ली	5,28,800	4,17,774	92956	9202	42,656	42,085
गोवा	10,496	8,049	42714	4065	13,766	13,671
गुजरात	4,73,270	3,74,545	384790	106241	1,29,951	1,29,178
हरियाणा	7,64,665	6,17,210	305235	91404	55,380	53,341
हिमाचल प्रदेश	1,77,549	1,42,655	39462	5185	95,942	95,300
जम्मू और कश्मीर	4,33,724	3,56,962	4305	1012	15,153	13,694
झारखंड	3,15,290	2,48,091	43810	24061	1,13,998	1,13,174
कर्नाटक	6,09,367	4,79,026	372196	57117	1,52,682	1,52,440
केरल	2,75,165	2,11,794	59020	29481	1,25,363	1,24,691
लद्दाख	4,076	2,791	180	87	1,529	717
लक्षद्वीप	390	131	37	44	5,177	5,097
मध्य प्रदेश	12,33,837	9,38,475	115010	29991	3,92,298	3,89,012
महाराष्ट्र	13,37,900	10,47,064	1088818	225690	2,93,055	2,87,129
मणिपुर	1,15,543	89,941	492	24	51,070	46,936
मेघालय	60,807	44,972	930	136	6,999	6,999
मिजोरम	44,449	30,314	464	16	7,057	7,023
नागालैंड	55,711	40,108	134	9	13,802	12,090
ओडिशा	6,03,909	4,63,784	46351	21858	3,36,577	3,33,458
पुदुचेरी	36,333	29,882	15002	1759		
पंजाब	5,77,143	4,67,532	77054	16204	24,311	24,216
राजस्थान	14,09,480	12,12,563	95061	19285	1,02,323	1,01,825
सिक्किम	19,529	12,994	1651	114	-	-
तमिलनाडु	8,94,314	7,24,562	452033	49263	1,09,851	1,08,805
तेलंगाना	4,69,063	3,81,611	163194	45428	83,340	82,428
दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव	11,971	10,002	12710	700	17,436	17,139
त्रिपुरा	1,63,792	1,18,029	1828	459	22,032	21,984
उत्तर प्रदेश	25,22,287	20,11,956	338200	63435	6,58,156	6,53,724
उत्तराखंड	2,54,149	1,95,431	98098	12073	1,00,558	99,925
पश्चिम बंगाल	6,53,478	5,07,184	122655	23449	1,01,992	1,01,182
कुल	**1,65,41,679**	**1,30,48,109**	**41,60,321**	**8,92,617**	**36,58,020**	**36,12,428**

अनुबंध II

'आंध्र प्रदेश में स्किल इंडिया कार्यक्रम' के संबंध में दिनांक 10.08.2026 को उत्तरार्थ लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 3589 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

कौशल भारत कार्यक्रम के अंतर्गत दिनांक 30.06.2026 तक कार्यरत राज्यवार परिचालनरत केंद्रों/प्रतिष्ठानों का ब्यौरा, निम्न प्रकार है:

क्र.सं.	राज्य	पीएमकेवीवाई	नैप्स	जेएसएस
1.	अंडमान और निकोबार	-	26	1
2.	आंध्र प्रदेश	26	1,135	6
3.	अरुणाचल प्रदेश	-	33	-
4.	असम	16	692	6
5.	बिहार	10	685	21
6.	चंडीगढ़	3	183	1
7.	छत्तीसगढ	1	339	14
8.	दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव	-	141	2
9.	दिल्ली	1	898	3
10.	गोवा	-	511	1
11.	गुजरात	4	9,279	9
12.	हरियाणा	6	5,687	2
13.	हिमाचल प्रदेश	3	761	11
14.	जम्मू और कश्मीर	13	542	2
15.	झारखंड	-	475	13
16.	कर्नाटक	3	2,790	12
17.	केरल	10	1,846	9
18.	मध्य प्रदेश	32	1,179	29
19.	महाराष्ट्र	6	8,402	21
20.	मणिपुर	1	35	4
21.	मेघालय	7	45	1
22.	लददाख	-	16	2
23.	मिजोरम	1	27	1
24.	लक्षद्वीप	-	2	1
25.	नागालैंड	1	28	2
26.	ओडिशा	2	715	29
27.	पुदुचेरी	4	252	
28.	पंजाब	15	1,106	2
29.	राजस्थान	12	1,145	9
30.	सिक्किम	-	82	-
31.	तमिलनाडु	10	3,034	9
32.	तेलंगाना	2	1,298	6
33.	त्रिपुरा	6	79	2
34.	उत्तर प्रदेश	63	6,925	47
35.	उत्तराखंड	1	872	8
36.	पश्चिम बंगाल	22	1,380	8

अनुबंध III

'आंध्र प्रदेश में स्किल इंडिया कार्यक्रम' के संबंध में दिनांक 10.08.2026 को उत्तरार्थ लोक सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या 3589 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

पीएमकेवीवाई 4.0 के तहत आंध्र प्रदेश में प्रशिक्षित और प्रमाणित उम्मीदवारों का जिलावार ब्यौरा और परिचालनरत केंद्रों की संख्या (दिनांक 30.06.2026 तक) निम्न प्रकार है:

ज़िला	परिचालनरत केंद्र	प्रशिक्षित	प्रमाणित
अल्लूरी सीताराम राजू	-	65	11
अनकापल्ली	-	887	588
अनंतपुरम	3	4,283	2,814
अन्नमय्या	-	566	97
बापतला	1	450	287
चित्तूर	1	3,920	2,770
डॉ. बी.आर. अंबेडकर कोनासीमा	1	132	25
पूर्वी गोदावरी	-	4,121	2,443
एलुरु	-	973	809
गुंटूर	-	9,513	3,670
काकीनाडा	2	927	596
कृष्णा	-	4,991	3,642
कुरनूल	1	5,141	2,920
नांदयाल	-	515	314
एनटीआर	2	337	259
पलनाडु	-	893	601
पार्वतीपुरम मन्याम	1	328	181
प्रकाशम	2	4,819	3,599
श्री पोट्टी श्रीरामुलु नेल्लोर	5	6,091	2,827
श्री सत्य साई	-	1,058	847
श्रीकाकुलम	-	3,104	2,104
तिरुपति	2	1,756	1,203
विशाखापत्तनम	2	11,292	7,614
विजयनगरम	1	3,498	1,882
पश्चिम गोदावरी	-	3,829	2,442
वाईएसआर कडप्पा	2	4,455	2,800
	26	**77,944**	**47,345**

आंध्र प्रदेश में एनएपीएस के तहत नियोजित और प्रमाणित प्रशिक्षुओं का जिलावार ब्यौरा (जून 2026 तक) और सक्रिय प्रतिष्ठानों की संख्या निम्नलिखित है:

ज़िला	**नियोजित किए गए प्रशिक्षु**	**प्रमाणित प्रशिक्षु**	**प्रतिष्ठानों की संख्या**
अल्लूरी सीताराम राजू	10	0	2
अनकापल्ली	432	20	36
अनंतपुरम	15,979	3,054	108
अन्नमय्या	155	45	14
बापतला	193	19	13
चित्तूर	13,664	1,534	111
डॉ. बी.आर. अंबेडकर कोनासीमा	595	33	16
पूर्वी गोदावरी	3,487	2,507	162
एलुरु	1,295	109	58
गुंटूर	4,309	699	130
काकीनाडा	2,202	246	95
कृष्णा	7,223	4,155	191
कुरनूल	2,074	841	115
नांदयाल	274	97	26
एनटीआर	1,776	302	131
पलनाडु	160	25	21
पार्वतीपुरम मन्याम	62	6	3
प्रकाशम	738	293	54
श्री पोट्टी श्रीरामुलु नेल्लोर	2,073	591	64
श्री सत्य साई	5,076	501	37
श्रीकाकुलम	2,227	333	50
तिरुपति	7,689	387	119
विशाखापत्तनम	14,710	6,042	271
विजयनगरम	949	260	58
पश्चिम गोदावरी	1,416	610	105
वाईएसआर	4,326	536	73
कुल योग	**93,094**	**23,245**	**1,135**

आंध्र प्रदेश में जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) स्कीम के तहत प्रशिक्षित और प्रमाणित लाभार्थियों का जिलावार ब्यौरा, साथ ही सक्रिय जेएसएस का ब्यौरा (30 जून 2026 तक) निम्नलिखित है:

ज़िला	**जेएसएस का नाम**	**प्रशिक्षित**	**प्रमाणित**
अनंतपुरम	जेएसएस अनंतपुर	8,100	8,100
प्रकाशम	जेएसएस ओंगोले	8,099	8,058
तिरुपति	जेएसएस तिरुपति	8,071	8,054
एनटीआर	जेएसएस विजयवाड़ा	8,102	8,102
विशाखापत्तनम	जेएसएस विशाखापत्तनम	8,092	8,087
विजयनगरम	जेएसएस विजयनगरम	8,100	8,099
कुल योग		**48,564**	**48,500**
